पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1691

दिनांक-17.09.2026

जोन-पूर्वी / थाना-विभूतिखण्ड

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा० न्यायालय द्वारा मु.अ.सं. 259/2019 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 25000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

संक्षिप्त विवरणः -

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालयों मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालयों मे सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) तथा सहायक पुलिस आयुक्त विभूतिखण्ड के निर्देशन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना विभूतिखण्ड उपेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना स्थानीय के पैरोकार कां० संतोष कुमार के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी करते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान स्पे० पाक्सो एक्ट प्रथम लखनऊ के निर्णायक फैसला दिनांक 15.09.2026 सम्बन्धित वाद संख्या 22/2021, मु.अ.सं. 259/2019 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मो० तालिब पुत्र मो० सादिक निवासी ग्राम तिहार थाना इमलिया सुल्तानपुर जनपद सीतापुर को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25000/- रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।

नाम व पता अभियुक्त-

1. मो० तालिब पुत्र मो० सादिक निवासी ग्राम तिहार थाना इमलिया सुल्तानपुर जनपद सीतापुर

फैसला-

वाद संख्या 22/2021, मु.अ.सं. 259/2019 धारा 363/366/376 भादवि व पाक्सो एक्ट थाना विभूतिखण्ड लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्त मो० तालिब पुत्र मो० सादिक निवासी ग्राम तिहार थाना इमलिया सुल्तानपुर जनपद सीतापुर को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25000/- रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।

पैरवीकर्ता-

1. श्री उपेन्द्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना विभूतिखण्ड
2. का0 संतोष कुमार, मा. न्यायालय पैरोकार थाना विभूतिखण्ड

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1690
दिनांक-17.09.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-सरोजनीनगर

- **थाना सरोजनीनगर पुलिस टीम द्वारा अन्तर्जनपदीय वाहन चोर गैंग के सरगना सहित 02 शातिर चोर/अभियुक्तों को गिरफ्तार व 01 नाबालिग को पुलिस संरक्षण में लेते हुए कब्जे से चुराई गई 08 मोटरसाइकिल,(अनुमानित कीमत करीब 07 लाख रुपये) फर्जी नम्बर प्लेट बरामद।**

01-कार्यवाही विवरणः-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के कुशल पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय के कुशल मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक सरोजनीनगर श्री राजदेव प्रजापति के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा अन्तर्जनपदीय मोटरसाइकिल चोर गैंग के सरगना सहित 02 शातिर चोर/अभियुक्तों को गिरफ्तार व 01 नाबालिग को पुलिस संरक्षण में लेते हुए कब्जे से चुराई गयी 08 मोटरसाइकिल, फर्जी नम्बर प्लेट बरामद।

02-संक्षिप्त विवरणः-

वादी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री मातादीन नि0 ग्राम व पोस्ट बिजनौर मोहल्ला, पटवारी, थाना बिजनौर, लखनऊ की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0-347/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात थाना सरोजनीनगर लखनऊ, बावत अज्ञात द्वारा तथा वादी मुकदमा श्री श्याम नारायण सिंह पुत्र श्री मुखदेव सिंह नि0 बिजनौर रोड स्कूटर इण्डिया थाना सरोजनीनगर लखनऊ की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0-349/2026,धारा-303(2) बीएनएस सरोजनीनगर लखनऊ बनाम अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल चोरी कर लेने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया।

घटनाओं के सफल अनावरण एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी, के निर्देशन में 04 पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा 120 से अधिक सीसीटीवी फुटेज, टैक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यो व स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से आज दिनांक 17.09.2026 को अभियुक्तगण 1.योगेन्द्र कुमार, 2. बासुदेव को गिरफ्तार व 01 नाबालिग को पुलिस संरक्षण में लेकर नियमानुसार कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडीः-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि साहब, हम सभी लोग जनपद उन्नाव के रहने वाले हैं तथा आपस में दोस्त हैं। हम लोग आपस में मिलकर पैसे कमाने एवं अपने शौक पूरे करने के लिए मोटरसाइकिल चोरी करते हैं। हम लोग अलग-अलग स्थानों पर घूमकर मोटरसाइकिल चोरी करने का मौका तलाशते हैं और मौका मिलते ही मोटरसाइकिल चोरी कर लेते हैं। चोरी की गयी मोटरसाइकिलों की नम्बर प्लेट बदल देते हैं और नम्बर प्लेट हटा देते हैं तथा उन्हीं चोरी की गयी मोटरसाइकिलों का प्रयोग कर लखनऊ के अलग-अलग जगह से भी मोटरसाइकिल चोरी करते हैं व कूटरचित नम्बर प्लेट बना कर मोटरसाकिल में लगा कर चोरी करते है।

चोरी की गयी मोटरसाइकिलों को अलग-अलग जगह पर छिपाकर रखते हैं और जब हमारे पास मोटरसाइकिलें इकट्ठा हो जाती हैं तो उन्हें बेच देते हैं। हमारे कब्जे से बरामद मोटरसाइकिलें लखनऊ के अलग-अलग थानों से चोरी की गयी हैं। दिनांक 11.09.2026 को गौरी बाजार थाना सरोजनीनगर एवं दिनांक-14.09.2026 को स्कूटर इण्डिया चौराहे थाना सरोजनीनगर से भी हम लोगों ने मोटरसाइकिलें चोरी की थीं। आज हम लोग चोरी की गयी मोटरसाइकिलों को बेचने के फिराक में थे, तभी पुलिस द्वारा हम लोगों को पकड़ लिया गया। साहब, हमसे गलती हो गयी है, हमें माफ कर दीजिए।

04-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. योगेन्द्र कुमार उर्फ योगेन्द्र सिंह उर्फ विक्की पुत्र राजू सिंह निवासी ढरसवा थाना असोहा जिला उन्नाव हाल पता हनुमान मंदिर के पास किराये के मकान में दरोगाखेडा थाना सरोजनीनगर लखनऊ, पूर्व पता ग्राम बक्तूखेडा थाना अजगैन जिला उन्नाव। उम्र करीब 42 वर्ष
2. बासुदेव पुत्र देशराज निवासी भटपुरा पोस्ट –कोहरा थाना अजगैन जिला उन्नाव हाल पता विजय नगर थाना कृष्णानगर लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष।
3. 01 नाबालिग अपचारी

05-आपराधिक इतिहासः-

- ***अभियुक्त योगेन्द्र कुमार उपरोक्त के विरुद्ध कुल-05 अभियोग पंजीकृत हैं-***

1. मु0अ0सं0- 284/2021 धारा 379/411 भादवि0 थाना बन्थरा लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 296/2021 धारा 379/411 भादवि0 थाना सरोजनीनगर लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 439/2021 धारा 379/411 भादवि0 थाना सरोजनीनगर लखनऊ।
4. मु0अ0सं0 287/2021 धारा 41, 411, 413, 473 भादवि0 थाना अजगैन जिला उन्नाव।
5. मु0अ0सं0 18/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना अजगैन जिला उन्नाव।
6. मु0अ0सं0 101/2021 धारा 379/411 भादवि0 थाना सोहरामऊ जिला उन्नाव।

- ***अभियुक्त वासुदेव उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग –***

1. मु0अ0सं0 530/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना पारा लखनऊ।

06-अनावरित अभियोगों का विवरणः-

1. मु0अ0सं0 347/2026 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/318(4)/336(2)/340(2) बीएनएस थाना सरोजनीनगर लखऊ।
2. मु0अ0सं0 349/2026 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/318(4)/336(2)/340(2) बीएनएस थाना सरोजनीनगर लखऊ।
3. मु0अ0सं0 530/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना पारा लखनऊ।

07-बरामदगी विवरणः-

- एक अदद मोटरसाइकिल UP32NK-6257
- एक अदद मोटरसाइकिल UP32 QA-1671।
- एक अदद मोटरसाइकिल स्प्लेन्डर बिना नम्बर प्लेट
- एक अदद मोटरसाइकिल स्प्लेन्डर बिना नम्बर प्लेट
- एक अदद मो0साइकिल स्प्लेन्ड्र प्लस UP32GV-2410
- एक अदद मोटरसाइकिल सुपर स्पलेन्ड्र कूट रचित नम्बर प्लेट UP32HY2317
- एक अदद मोटरसाइकिल स्प्लेन्डर प्लस कूट रचित नम्बर प्लेट UP32PK4609
- एक अदद मोटरसाइकिल स्प्लेन्ड्र प्लस कूटरचित नम्बर प्लेट UP32HC7166

08-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना सरोजनीनगर पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1689
दिनांक-17.09.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-निगोहाँ

- **थाना निगोहाँ पुलिस टीम द्वारा मोबाइल की किस्त जमा नही कर पाने के कारण युवक को जबरदस्ती बंधक बनाकर मारपीट करना, ब्लड निकलवाकर बेचना, मजदूरी करवाने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही विवरणः-

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ श्री तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के कुशल पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री राजेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं थानाध्यक्ष निगोहाँ श्री रवीन्द्र कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-17.09.2026 को मोबाइल की किस्त जमा नही कर पाने के कारण युवक को बंधक बनाकर मारपीट करने व ब्लड निकलवाकर बेचना, मजदूरी करवाने वाले 02 शातिर अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

02-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक-14.09.2026 को वादिनी मुकदमा श्रीमती जदुराई पत्नी स्व0 शिवलाल निवासिनी ग्राम राजारामखेडा मजरा पुरहिया थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ द्वारा थाना निगोहाँ पर एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमे वादिनी के बेटे नेवल कुमार द्वारा एक मोबाइल फोन किस्त पर खरीदा गया। मोबाइल की किस्त जमा नही करने पर दिनांक-08.09.2026 को शुभम सिंह तथा उसका एक साथी उसके घर आये और उसके बेटे को मोबाइल की दुकान पर ले जाने की बात बता कर अपने साथ लेकर चले गये। उसके बेटे को करीब 04 दिन तक बंधक बनाकर रखा, उससे मजदूरी करायी तथा उसके शरीर से खून निकालकर बेचा है, उसके बेटे के साथ मार पीट की है। किस्त के लिए 2799/- रुपये भी उनके द्वारा ऑनलाइन लिये गये हैं।

घटना के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निगोहाँ पर मु0अ0सं0-125/2026 धारा-143(3)/146/127(3)/115(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा तत्काल 03 पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, टैक्निकल व मैनुअल साक्ष्यों के आधार व स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से आज दिनांक-17.09.2026 को अभियुक्त 1. अनिकेत सिंह उर्फ काका, 2. सुशान्त शर्मा को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अन्य अभियुक्त की तलाश की जा रही है।

03-पूछताछ विवरणः-

पूछताछ पर अभियुक्त सुशान्त शर्मा ने बताया कि साहब मैं टी0वी0एस0 क्रेडिट सर्विसेज लिमिटेड, बीबीडी विराज टावर, 7th फ्लोर, विभूतिखण्ड, लखनऊ में मैनेजर के पद पर कार्य करता हूँ। मेरा कार्य फाइनेन्स पर मोटरसाइकिल, मोबाइल, टीवी आदि सामान लेने वाले ग्राहकों से लोन की किस्त की वसूली कराना है। मेरा साथी शुभम सिंह भी इसी कम्पनी में फील्ड एजेन्ट का काम करता है तथा अनिकेत सिंह उर्फ काका भी हम लोगो के साथ किस्त वसूली का काम करता है। हम लोग ऐसे लोगो को तलाशते थे जो किस्त का पैसे नही जमा करते है, किस्त वसूली के लिए कई बार हम लोग नेवल किशोर के घर गये लेकिन नेवल घर पर मौजूद नही मिला, आने जाने में हम लोगो का पेट्रोल भी खर्च होता था और हमारे ऊपर कम्पनी का दबाव था कि किस्त जल्द से जल्द वसूले, हम लोगों ने एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत नेवल किशोर को सबक सिखाने के लिये योजना बनाकर नेवल को उसके गाँव के बाहर से ऊठा लिया था। नेवल को ऊठाने के बाद हम लोगों ने नेवल से ब्लड निकलवाने के लिए हमारे पहले से परिचित समाधान चैरिटेबल ब्लड सेन्टर पर ले गये और वहाँ पर एक यूनिट ब्लड नेवल की मर्जी के खिलाफ निकलवाकर अपने अन्य साथियों के साथ हम लोगों नें बेच दिया था। इसके बाद हम लोगों नें नेवल को बन्धक बनाकर अपने मित्र शुभम के घर पर रखा था। शुभम के घर पर ही बन्धक बनाकर नेवल से 04 दिन छत के प्लास्टर तुडवाने की मजदूरी का काम कराया गया था एवं साथ ही नेवल से किस्त का पैसा भी हम लोगो नें वसूल लिया था। साहब हमसे गलती हो गयी, हमे माफ कर दीजिए।

04-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. अनिकेत सिंह उर्फ काका उम्र 26 वर्ष पुत्र अरुण कुमार निवासी -मोहल्ला उदयगंज नियर हरि मजार थाना हुसैनगंज लखनऊ।
2. सुशान्त शर्मा उम्र 31 वर्ष पुत्र रमेश गौतम निवासी-राजाजी पुरम थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ।

05-अनावरित अभियोग का विवरणः-

1. मु0अ0सं0-125/2026 धारा- 143(3),146,127(3),115(2) बी0एन0एस0 थाना निगोहां जनपद लखनऊ।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- व0उ0नि0 राजेश कुमार दीक्षित
- उ0नि0 ओमप्रकाश पाण्डेय
- उ0नि0 मनीष कुमार
- का0 अरविन्द कुमार पटेल
- का0 कैलाश राणा
- का0 मुनेन्द्र कुमार
- म0का0 आरती

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1695
दिनांक-17.09.2026

जोन-पश्चिमी / थाना-नाका हिण्डोला

- **थाना नाका हिण्डोला पुलिस टीम जोन-पश्चिमी की सफलता।**
- **थाना नाका हिण्डोला पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना नाका हिण्डोला पुलिस टीम द्वारा माननीय न्यायालय से निर्गत एनबीडब्लू के अनुपालन में वांछित वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार तलाश एवं दबिश की कार्यवाही की जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्तों के संभावित ठिकानों पर दबिश देकर तलाश की गयी, जिसके दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी एनबीडब्लू वाद सं0-83279/25, अ0स0-41/23, धारा 323/504/427 भादवि, थाना नाका हिण्डोला, लखनऊ से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्तों 1.रामलाल पुत्र गंगाराम नि0 289/24/2 मोतीनगर थाना नाका हिण्डोला लखनऊ उम्र 55 वर्ष 2.राजेश पुत्र रामलाल नि0 289/24/2 मोतीनगर थाना नाका हिण्डोला लखनऊ उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.रामलाल पुत्र गंगाराम नि0 289/24/2 मोतीनगर थाना नाका हिण्डोला लखनऊ उम्र 55 वर्ष

02.राजेश पुत्र रामलाल नि0 289/24/2 मोतीनगर थाना नाका हिण्डोला लखनऊ उम्र 28 वर्ष

04- सम्बन्धित वाद/अभियोग का विवरण-

1.वाद सं0 83279/25 अ0स0 41/23 धारा 323/504/427 भादवि थाना नाका हिण्डोला लखनऊ।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सर्वेश नायक थाना नाका हिण्डोला लखनऊ।
2. का0 अनूप कुमार सिंह थाना नाका हिण्डोला लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1695
दिनांक-17.09.2026

जोन-पश्चिमी / थाना-नाका हिण्डोला

- **थाना नाका हिण्डोला पुलिस टीम जोन-पश्चिमी की सफलता।**
- **थाना नाका हिण्डोला पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना नाका हिण्डोला पुलिस टीम द्वारा माननीय न्यायालय से निर्गत एनबीडब्लू के अनुपालन में वांछित वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार तलाश एवं दबिश की कार्यवाही की जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्तों के संभावित ठिकानों पर दबिश देकर तलाश की गयी, जिसके दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी एनबीडब्लू वाद सं0-83279/25, अ0स0-41/23, धारा 323/504/427 भादवि, थाना नाका हिण्डोला, लखनऊ से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्तों 1.रामलाल पुत्र गंगाराम नि0 289/24/2 मोतीनगर थाना नाका हिण्डोला लखनऊ उम्र 55 वर्ष 2.राजेश पुत्र रामलाल नि0 289/24/2 मोतीनगर थाना नाका हिण्डोला लखनऊ उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.रामलाल पुत्र गंगाराम नि0 289/24/2 मोतीनगर थाना नाका हिण्डोला लखनऊ उम्र 55 वर्ष

02.राजेश पुत्र रामलाल नि0 289/24/2 मोतीनगर थाना नाका हिण्डोला लखनऊ उम्र 28 वर्ष

04- सम्बन्धित वाद/अभियोग का विवरण-

1.वाद सं0 83279/25 अ0स0 41/23 धारा 323/504/427 भादवि थाना नाका हिण्डोला लखनऊ।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सर्वेश नायक थाना नाका हिण्डोला लखनऊ।
2. का0 अनूप कुमार सिंह थाना नाका हिण्डोला लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1694
दिनांक- 17.09.2026

जोन- मध्य/ कोतवाली- हजरतगंज

- **थाना हजरतगंज पुलिस टीम द्वारा शक्ति भवन के अन्दर गोदाम से सरकारी सम्पत्ति चोरी करने वाले 02 चोर/अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किया गया माल बरामद करते हुए घटना किया गया सफल अनावरण।**

कार्यवाही विवरण-

दिनांक 16.09.2026 को वादी मुकदमा अर्पित श्रीवास्तव नि0- राजीव नागर कल्याणपुर लखनऊ द्वारा तहरीर प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित किया गया कि शक्ति भवन के अन्दर कार्यरत वादी की कंपनी Vizicon.con.in के साइड से बिजली से सम्बन्धित ग्लैंड नाम की सामाग्री चोरी हो गये है। जिस पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 201/26 धारा 305(1) बीएनएस 2023 बनाम 01. सूरज पता अज्ञात 02. अरविन्द पता अज्ञात 03. सत्यम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना म0उ0नि0 सुधा दीक्षित को सुपुर्द की गयी।

संक्षिप्त विवरण-

थाना हजरतगंज पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण कर घटनास्थल शक्ति-भवन के अन्दर के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया तथा अभियुक्तगण 01.सूरज पता अज्ञात 02. अरविन्द पता अज्ञात 03. सत्यम पता अज्ञात की तलाश एवं पतारसी सुरागरसी हेतु मुखबिर मामूर किये गये तथा नामित / वांछित अभियुक्त 01.सूरज पता अज्ञात 02. अरविन्द पता अज्ञात 03. सत्यम पता अज्ञात की गिरफ्तारी का हर संभव प्रयास किया जा रहा था।

काफी प्रयासों के उपरांत अभियुक्त के विषय में जरिए मुखबिर खास सूचना के आधार पर अभियुक्तगण 01. अरविन्द पुत्र राजेश निवासी वाजिदपुर, असोहना थाना सतरीक बाराबंकी, हालपता राधापुरम कंचनपुरी मटियारी चिनहट लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष, 02. सूरज पुत्र रूपनरायण निवासी संशरी रतौली थाना लालगावं जिला सीतापुर हालपता डूडा कालोनी हरदासी खेड़ा थाना चिनहट जनपद लखनऊ उम्र 25 वर्ष को दिनांक 16.09.2026 को रात्रि समय 21.30 बजे न्यू लक्ष्मण मैला मैदान हजरतगंज के अन्दर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अरविन्द उपरोक्त के कब्जे से गत्ते / कार्टून के अन्दर बिजली की मोटी केबल को जोड़ने हेतु प्रयोग किये जाने वाला सफेद रंग की धातू का साकेट जो कि स्टील का प्रतीत हो रहा है के कुल 65 अदद व अभियुक्त सूरज उपरोक्त के कब्जे से बोरी के अन्दर से बिजली की मोटी केबल को जोड़ने हेतु प्रयोग किये जाने वाला सफेद रंग की धातू का साकेट जो कि स्टील प्रतीत हो रहा है कुल 38 अदद चोरी किया हुआ माल बरामद करते हुए अभियोग उपरोक्त मे धारा 317(2)/3(5) बीएनएस की बढोत्तरी किया गया। अग्रिम विवेचना धारा 305(1)/317(2)/3(5) बीएनएस में की जायेगी। अभियुक्तगणो को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिस पर मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तगणो को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। शेष अन्य नामित / वांछित अभियुक्त सत्यम पता अज्ञात की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है ।

03- पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी -

अभियुक्तगण मजदूरी करते है और मौका निकाल कर चोरी करने वाले शातिर चोर है। पूछताछ पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम दोनो के पास से जो सामान मिला है वह स्टील का है और मोटी केबिलों को जोड़ने के काम में आता है उसे हमने दिनांक 14.09.2026 को शक्ति भवन के अन्दर स्टोर से समय करीब 16.30 बजे चुराया था। अरविंद रेकी करता था और दूर से निगाह बनाए रखता है तभी सूरज का कार्य चोरी की घटना को अंजाम देना होता था, हम लोग चोरी करने के बाद उक्त समान लक्ष्मण मेला मैदान के पास झाडियों मे छिपा कर रख देते थे। आज हम लोग इस समान को निकाल कर बेचने की फिराक में थे कि आप लोगों ने हम लोगो को पकड लिया। अन्य नामित अभियुक्त सत्यम पता अज्ञात के बारे में जानकारी की गयी तो बताये कि हम लोग सत्यम को नही जानते है।

04- गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. अरविन्द पुत्र राजेश निवासी वाजिदपुर, असोहना थाना सतरीक बाराबंकी, हालपता राधापुरम कंचनपुरी मटियारी चिनहट जनपद लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष
2. सूरज पुत्र रूपनरायण निवासी संशरी रतौली थाना लालगावं जिला सीतापुर हालपता डूडा कालोनी हरदासी खेड़ा थाना चिनहट जनपद लखनऊ उम्र 25 वर्ष

06- अनावरित अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0- 201/2026 धारा- 305(ए) बीएनएस- 2023 थाना हजरतगंज लखनऊ

अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

07- बरामदगी विवरण –

- बिजली की मोटी केबल को जोड़ने हेतु प्रयोग किये जाने वाला सफेद रंग की धातू का साकेट (ग्लैंड) कुल 38 अदद बड़ा साइज
- बिजली की मोटी केबल को जोड़ने हेतु प्रयोग किये जाने वाला सफेद रंग की धातू का साकेट (ग्लैंड) कुल 38 अदद छोटा साइज

08- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. म0उ0नि0 सुधा दीक्षित थाना हजरतंगज लखनऊ
2. उ0नि0 राजशेखर थाना हजरतंगज लखनऊ
3. का0 रोशन थाना हजरतंगज लखनऊ
4. का0 संतोष कुमार थाना हजरतंगज लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1693
दिनांक-17.09.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-गोसाईगंज

- **थाना गोसाईगंज पुलिस टीम द्वारा घर से नाराज होकर भटके 12 वर्षीय बालक को सकुशल परिजनों से मिलाया।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 17.09.2026 को थाना गोसाईगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक 12 वर्षीय बालक के लावारिस अवस्था में घूमता हुआ पाये जाने की सूचना प्रभारी निरीक्षक श्री डी.के. सिंह को प्राप्त हुई। जिसके बाद थाना प्रभारी महोदय द्वारा थाने से पुलिस टीम को भेजा गया। बालक काफी परेशान और डरा हुआ प्रतीत हो रहा था। पुलिस टीम द्वारा तत्काल बालक की स्थिति को भांपते हुए उसे सुरक्षात्मक संरक्षण में लिया गया और थाने लाया गया तथा थाने के मिशन शक्ति केंद्र में बैठाया गया। बालक को थाने के सुरक्षित वातावरण में महिला हेल्पडेस्क पर बैठाया गया। थाना प्रभारी एवं बाल कल्याण अधिकारी व0उ0नि0 श्री प्रभात कुमार शुक्ला द्वारा अत्यंत सौम्यता, सहानुभूति और स्नेहपूर्वक वार्ता कर बालक का हौसला बढ़ाया गया। साथ ही उसे खाने-पीने का सामान उपलब्ध कराया गया।

पूछताछ के दौरान बालक ने अपने पिता का मोबाइल नंबर बताया जिससे वार्ता की गई तो बालक के पिता शराब के नशे में प्रतीत हो रहे थे तथा ज्ञात हुआ कि बालक की माता का स्वर्गवास हो चुका है और वह अपनी मौसी के घर थाना क्षेत्र इन्हौना जनपद अमेठी में रहता था। किसी बात पर मौसी से नाराज हो जाने के कारण वह नाराज होकर घर से निकल आया था और रास्ता भटक कर इधर-उधर घूम रहा था।

थाना गोसाईगंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए बालक द्वारा बताए गए विवरण के आधार पर उसकी मौसी से संपर्क साधा गया। पुलिस की सूचना पर परिजन तत्काल थाने पहुंचे। आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के उपरांत बालक को सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

02-पुलिस टीम थाना गोसाईगंज:-

1. व0उ0नि0 श्री प्रभात कुमार शुक्ला (बाल कल्याण अधिकारी)
2. म0उ0नि0 सोनम राय (प्रभारी मिशन शक्ति केंद्र)

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1692
दिनांक-17.09.2026

जोन-पूर्वी / थाना-गोमतीनगर विस्तार

- **थाना गोमतीनगर विस्तार पुलिस टीम के द्वारा वादिनी मुकदमा के ऊपर जान से मारने की नियत से गाड़ी चढाने वाले 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **घटना में प्रयुक्त कार हुंडाई वरना गाडी वाहन सं0 UP32KH8090 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज।**

01-संक्षिप्त विवरण –

वादिनी मुकदमा के द्वारा पुलिस को तहरीरी सूचना दी गई कि दिनांक 16.09.2026 की सुबह 06.00 बजे, जनेश्वर मिश्र पार्क गेट नं0 4 गोमतीनगर विस्तार लखनऊ में विपक्षी द्वारा वादिनी के ऊपर जान से मारने की नियत से गाडी चढा देना तथा गाली गलौज करने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया गया

उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 16.09.2026 को थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 0170/2026 धारा 109/352 बीएनएस बनाम 1. शहनाज 2. दानिश के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण की विवेचनात्मक कार्यवाही एवं घटनास्थल के आस-पास लगे **सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगालकर** व सुरागरसी-पतारसी के जरिये मुकदमें के नामजद अभियुक्त– शाहनवाज अहमद पुत्र नूर अली निवासी नया महिपतमऊ, अन्धे की चौकी के पास थाना दुबग्गा लखनऊ उम्र करीब 27 वर्ष को दिनांक 16.09.2026 को जनेश्वर मिश्र पार्क गेट न0 02 थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ से गिरफ्तार किया गया व घटना में प्रयुक्त हुंडाई वरना गाडी वाहन सं0 UP32KH8090 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया। बाद विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त शाहनवाज अहमद उपरोक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

02-अनावरित अभियोग -

1. मु.अ.सं. 0170/2026 धारा 109/352 बीएनएस थाना गोमतीनगर विस्तार, जनपद लखनऊ

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. शाहनवाज अहमद पुत्र नूर अली निवासी नया महिपतमऊ, अन्धे की चौकी के पास थाना दुबग्गा लखनऊ उम्र करीब 27 वर्ष

04-बरामदगी का विवरण-

1. घटना में प्रयुक्त 01 अदद कार हुंडाई वरना गाडी वाहन सं0 UP32KH8090 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार सिंह थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।(विवेचक)
2. उ0नि0 श्री सतेन्द्र कुमार सिंह थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री सत्यम गुप्ता थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
4. उ0नि0 श्री आयुष यादव थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
5. हे0का0 रामू यादव थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।